न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—521 / 2016 / 75 (2016 / 00521)

1. माफ कंवर बेवा मांगूसिंह,
2. रणगंभीरसिंह पुत्र मांगूसिंह,
3. ज्योति कंवर पुत्री मांगूसिंह,
4. टंवर कंवर पुत्री बन्नेसिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी माकड़वाली, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर जिला अजमेर ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव ।?

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर दिनांक 27.9.2013 प्रकरण 292 / 2013.

उपस्थितः—

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री रामकिशोर खदाव, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—11.02.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने आदेश क्रमांक कअ / राजस्व / एफ 12 (सी) ( ) / 13 / 292 दिनांक 27.9.2013 द्वारा अन्य ग्रामों की आराजियात के साथ—साथ ग्राम माकड़वाली तहसील अजमेर के हाल खसरा नंबर 320 रकबा 1.02 है भूमि को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.9.2013 में अपीलांट के कदीमी कब्जे काश्त की आराजियात वर्किंग जमाबंदी हाल खसरा नंबर 320 रकबा 1.02 है0 भी शामिल है । उक्त आराजी पर अपीलांट वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चल आ रहे है । अधी0न्याया0 ने विवादित भूमि के मौके की जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये है जिसमें प्रार्थीगण की भूमि भी सम्मिलित हो गई है जिससे प्रार्थी के हक व अधिकार प्रभावित हुए है। अपीलांट व्यथित पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 18.11.2016 को हुई जिस पर अपीलांट ने 27.9.2016 को अधी0न्याया0 के आदेश एवं नामांतकरण की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया तथा दिनांक 30.11.2016 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित निर्णय दिनांक 27.9.2013 पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज किया कि जब खतौनी सन् फसली 1349 में उक्त आराजी अपीलांटस के दादेर ससुर के नाम अंकित रही है । खसरा नंबर 1805 जिसके वर्किंग जमाबंदी खसरा नंबर 1973 जिसके हइाल खसरा नंबर 320 रकबा 1.02 है0 वर्तमान में सिवायचक अंकित है जबकि उक्त आराजी सन् फसली 1349 के अनुसरण में वर्किंग जमाबंदी बनाते समय उक्त आराजी का अंकन अपीलांटस के दादेद ससुर के नाम ही अंकित होनी चाहिये थी और उनकी मृत्यु के उपरांत अपीलांट के ससुर के नाम अंकित होनी चाहिये थी किन्तु भू–प्रबधं विभाग ने भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के विवादित आराजी को अपीलांट के दादेर सुसर के नाम अंकित आराजी को सिवायचक दर्ज कर तथा उक्त सिवायचक के अंकन के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 ने रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि हाल खसरा नंबर 320 रकबा 1.02 है0 भूमि पर वर्तमान अपीलांटस व उसके परिवार के लोग काबिज होकर काश्त चले आ रहे है एवं अपने रहवास हेतु मकान आदि बनाकर अपना जीवन यापन करते आ रहे है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विवादित आराजी के मौके की जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने संपूर्ण कार्यवाही अपीलांटस की पीठ पीछे की है जिसमें अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.9.2013 ग्राम माकड़वाली के हाल खसरा नंबर 320 रकबा 1.02 है0 की हद तक निरस्त किया जावे ।

7. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने रेस्पो0 संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तातंरित की है । अधी0न्याया0 के आदेश में किस प्रकार त्रुटि है अपीलांट ने साबित नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने जवाब बहस में राजकीय अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है तथा अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का हस्तातंरण आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

9. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि विवादित भूमि पर अपीलांट का पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांटस ने विवादित भूमि के कुछ भाग पर रहवास हेतु मकान बना रखे है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया है । अधी0न्याया0 के आदेश से अपीलांट के हक प्रभावित होना प्रकट होते है। हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाकिव प्रतीत होते है । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना नहीं गया था जबकि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट का राजस्व वाद सहायक कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में विचारधीन है । अपीलाधीन आदेश की जानकारी आदेश दिनांक को अपीलांट को होना नहीं माना जा सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश कअ/राजस्व/एफ 12 (सी)/13/292 दिनांक 27.9.2013 के द्वारा अन्य आराजियात के साथ ग्राम माकड़वाली तहसील अजमेर भूमि हाल खसरा नंबर 320 रकबा 1.02 है0 को रेस्पो0 संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये थे । अपीलांट का कथन रहा है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 320रकबा 10.02है0 पर अपीलांटस का पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अपीलांटस ने अपने कब्जे काश्त के संबंध में न्यायालय हाजा के समक्ष किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । विवादित भूमि बरवक्त हस्तातंरण आदेश राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी जिसे विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अजमेर विकास प्राधिकारी, अजमेर को हस्तातंरित की है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के अपीलाधीन आदेश में क्या त्रुटि है अपीलांटस ने दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया है । जहां तक अपीलांटस का यह कथन कि विवादित आराजी के इंद्राज को भू–प्रबधं विभाग द्वारा दौराने बंदोबस्त परिवर्तित किया गया है तो इस संबंध में अपीलांटस को सक्षम न्यायालय में इंद्राज दुरूस्ती बाबत् कार्यवाही की

जानी चाहिये थी जो नहीं की गई है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने अपील तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 27.9.2013 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

12. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ 12 (सी) ( )/13/292 दिनांक 27.9.2013 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर